ज्ञापांक–118/तक0 / 2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–09वीं जनवरी 2020

सेवा में,

छोटानागपुर इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0,
सर्कुलर रोड ओपोजीट वूमेन्स कॉलेज, राँची।

विषयः– **मौजा–कोना, प्लॉट नं0–1675, 1676 खाता नं0–00, वार्ड नं0–00, थाना–लालपुर, जिला–राँची में प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–16 दिनांक–08.01.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के ब्लॉकों में बेसमेंट के निर्माण का प्रस्ताव है। सुझाव है कि बेसमेंट में मानक के अनुरूप फायर पार्टीशन की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के ब्लॉकों के सामनेवाले भाग में केन्द्रीयकृत रूप से कम से कम 2,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
3. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों को इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
4. प्रस्तावित भवनों के चारों तरफ रिंग मेन्स की व्यवस्था की जाय, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रस्तावित भवन के सभी ब्लाकों में अग्निशमन कार्य हेतु बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले एक–एक टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
6. टेरेस टैंक से जुड़ा हुआ ब्लॉक A के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में एक एवं ब्लॉक B के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में एक–एक वेट राईजर–कम–डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63 mm डिलिवरी आउटलेट एवं कम से कम 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
7. प्रस्तावित भवन के दोनों ब्लॉकों के सभी तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास दीवार में एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो–दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
8. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सतही तल पर एक–एक फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के सभी तलों पर स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग का संस्थापन कराया जाय।
10. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
11. स्प्रिंकलर के लिये स्वतंत्र पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय।
12. ब्लॉक A के सभी तलों पर ऐड्रेसेबल टाईप स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
13. प्रस्तावित ब्लॉकों के अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 ली0 / मि0 क्षमता का एक फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखने की व्यवस्था की जाय।
15. स्प्रिंकलर के लिये समान क्षमता का पम्प अलग से संस्थापित किया जाय।
16. जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।

17. यह सुनिश्चित किया जाय कि पंपिंग सिस्टम पोजिटिव सक्शन युक्त एवं स्वचालित हो।
18. पम्पिंग सिस्टम एवं फायर लिफ्ट को वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
19. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के फायर स्केप रूट वाली सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
20. प्रस्तावित दोनों लॉकों के विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
21. प्रस्तवित दोनों ब्लॉकों के लिफ्ट में से किसी एक–एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
22. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों की विद्युत व्यवस्था किसी Lisenced Electrician से हीं कराये जाय।
23. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में मानक के अनुरूप रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
24. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP (ABC) Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसका हूटर भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
26. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाए।
27. प्रस्तावित ब्लॉकों के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरूद्ध नहीं किया जाय।
28. प्रस्तावित ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी को कम से कम दो घंटा अग्निरोधी फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
29. प्रस्तावित ब्लॉकों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
30. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् हीं अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
31. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
32. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002, 2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.01.09 18:49:40 +05'30'

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।